राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक–मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांकः आईपीआई / पी–5 / परिपत्र / 2013/1763
दिनांकः 9, अक्टूबर, 2013

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि निगम के इकाई कार्यालयों द्वारा किसी भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते समय, निरस्तीकरण आदेश के साथ जमा राशि मे से नियमानुसार लौटाई जाने वाली राशि का चैक नही भिजवाया जा रहा है जबकि निगम नियमानुसार भूखण्ड के निरस्तीकरण आदेश के साथ लौटाई जाने वाली राशि का चैक भिजवाना आवश्यक है। इकाई कार्यालयों द्वारा उक्त चैक निस्ततीकरण आदेश जारी होने के पश्चात अलग से भिजवाया जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध है। साथ ही यह भी देखा गया है कि चैक भिजवाते समय उद्यमी को भिजवाये गये पत्र में लौटाई जाने वाली राशि का विवरण भी अंकित नहीं किया जाता है जिसके कारण उद्यमी / आवंटी को यह ज्ञात नहीं होता है कि उसे उक्त चैक किस बाबत भिजवाया गया है।

अतः सभी इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि उद्यमी / आवंटी का भूखण्ड निरस्त करते समय, निरस्तीकरण आदेश के साथ ही लौटाई जाने वाली राशि का चैक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पत्र में स्पष्ट रूप से चैक किस बाबत भिजवाया जा रहा है, वर्णित किया जावे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

यह परिपत्र प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किया जा रहा है ।

(श्रुति भारद्वाज)
सलाहकार (इन्फ्रा)

प्रतिलिपि :

1. वित्तीय सलाहकार / सलाहकार (ए एण्ड एम)
2. सचिव, रीको लिमिटेड
3. मुख्य महाप्रबन्धक (बीपी) / (एकेजी)
4. महाप्रबन्धक (वित्त) / (अप्रेजल) / (इन्फ्रा)
5. विशेषाधिकारी (भूमि) / (इन्फ्रा) / (ईएम) / (नई दिल्ली)
6. विशेषाधिकारी (आईटी)– वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. व0 उपमहाप्रबन्धक (पीएण्डडी / आरटीआई)
8. व0 उप महाप्रबन्धक (विधि) / (डोक्यू.)